उस क्षेत्र में पड़े जाते हैं, जहां इस तरह की जगहें खाली हैं। यह भी हिदायत है कि नियोजन की सूचनाए पास के नियोजन कार्यालयों को भी दी जाय। ऐसे विज्ञापनों में पदों की कोटियों और रेलवे के उस मण्डल / जिला क्षेत्र का भी उल्लेख किया जाता है, जहां जगह खाली है। जब उम्मीदवारों की भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है तो उम्मीदवारों के लिए यह अपेक्षित है कि वे किन्हीं दो मण्डलों / जिलों / क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए अपनी तरजीह दें। उम्मीदवारों की तरजीह के अनुसार मण्डलों आदि के आधार पर चुने उम्मीदवारों के पैनल बनाये जाते हैं।

वाणिज्य विभाग के रेलवे कर्मचारियों को अवास की सुविधा

400. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजन चालकों तथा गार्डों को, जो रेलवे के चल कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, रहने के लिये मकान दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को, जिनमें टिकट कलक्टर भी शामिल है यह सुविधा नहीं दी जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वाणिज्य विभाग के कर्मचारी होने के कारण उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सभी रेल कर्मचारी, चाहे वे किसी विभाग में काम करते हों, रहने के लिये रेलवे आवास पाने के पात्र हैं। इस तरह के आवास सीमित होने के कारण कर्मचारियों की ड्यूटी को देखते हुए उन्हें "लाजमी" और "गैर लाजमी" कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लाजमी कर्मचारियों को इस मामले में तरजीह दी जाती है।

गार्ड और ड्राइवर "लाजमी कर्मचारी" के रूप में वर्गीकृत हैं, जबकि टिकट कलक्टरों सहित वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारियों को सामान्यत: "गैर-लाजमी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

12. hrs.

PANEL OF CHAIRMEN

MR. SPEAKER : I have to inform the House that under-sub rule (1) of rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I nominate the following persons on the Panel of Chairmen :

SHRI VASUDEVEN NAIR,
SHRI PRAKASH VIR SHASTRI,
SHRI K. N TIWARY,
SHRIMATI SUSHILA ROHATGI,
SHRIMATI JAYABEN SHAH, AND
SHRI SHRICHAND GOYAL.

SHRI RANGA (Srikakulam) : I would like to point out that you have not been kind enough to include anybody from our party on the Panel of Chairmen.

MR. SPEAKER : I am sorry. I cannot include from all the parties. In the Previous Panel, a Member from his party was there. It is my discretion.

SHRI RANGA : I would like you to reconsider it.

MR. SPEAKER : It is my discretion.

SHRI RANGA : We are the Second largest party here in the Opposition. Evidently, you have forgotton about it.

12.02 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REVISION OF PAY SCALES OF HIMACHAL PRADESH STAFF

SHRI PREM CHAND VERMA (Hamirpur) : Icall theattention of the Minister